



पृष्ठ 4
मॉनसून के दौरान
अस्थमा के मरीज
बतें ये सावधानियाँ



पृष्ठ 5
करीना कपूर
और रिया कपूर ने
फिर मिलाया हाथ



- देहरादून
- वर्ष 30
- अंक 184
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00

आज का विचार

आपका कोई भी काम
महत्वहीन हो सकता है पर
महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ
करें।

— महात्मा गांधी

दूनवेली मेल

आर.एन.आई.- 59626/94
email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com
डीएचीपी से मान्यता प्राप्त

सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ी कोई भी कानून गरीब कल्याण में बाधक नहीं बन सकता: गडकरी राहत, सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए

नई दिल्ली (स)। बीजेपी से निर्वाचित नेता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। उनके खिलाफ दायर सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस ने पूछा कि 19



जुलाई को हमारी सुनवाई के बाद क्या कोई और एफआईआर हुई है? जस्टिस ने कहा कि हम सभी एफआईआर को

एक साथ जोड़ कर दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे। इसपर नूपुर के वकील मनिंदर ने कहा कि एफआईआर रद्द करवाने के लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट में ही याचिका का अनुमति मिले। इसपर जज ने कहा कि हाँ, ऐसा किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि हम जुबैर मामले में दिया गया जैसा ही आदेश मांग रहे हैं कि सभी मुकदमे एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। सभी मामले

कोई शक नहीं कि पहली एफआईआर

दिल्ली में दर्ज की गई। दूसरे पक्ष के वकील के द्वारा बताया गया कि दिल्ली में जो एफआईआर दर्ज है उसमें नूपुर शर्मा ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें वो खुद शिकायतकर्ता है। वहाँ, पश्चिम बंगाल की ओर से नूपुर मामले में विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई।

जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता (नूपुर शर्मा) ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर रद्द करने या फिर उन्हें दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की ताकि

एक ही एजेंसी जांच करे। 1 जुलाई को हमने मांग खारिज की। लेकिन बाद में नए तथ्य हमारे सामने आए। जस्टिस ने कहा, हम एफआईआर रद्द करने की मांग पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। इसके लिए याचिकाकर्ता दिल्ली हाई कोर्ट में मांग रख सकती है। हमने याचिकाकर्ता की जान पर गंभीर खतरे पर विचार किया है। हम सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं। सबकी जांच दिल्ली पुलिस करेगी।

नई दिल्ली (स)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोई भी कानून गरीब कल्याण में बाधक नहीं बन सकता। यदि कोई भी कानून गरीब कल्याण की राह में बाधक बनता है तो सरकार को इसे तोड़ने या दरकिनार का पूरा अधिकार है। ऐसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते थे। गडकरी ने कहा, मैं जानता हूँ कि गरीबों के कल्याण में कोई भी कानून आड़े नहीं आता, ऐसे कानून को 10 बार भी तोड़ना हो तो संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी ऐसा ही कहा था।

कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा, मैं हमेशा अधिकारियों से कहता हूँ कि आप जो कहेंगे, उसके अनुसार सरकार काम नहीं करेंगी। आपको केवल हाँ सर कहना है। आपको, हम जो कह रहे हैं, उसपर अमल करना होगा, उसे क्रियान्वित करना होगा। सरकार हमारे हिसाब से काम करेगी। केंद्रीय मंत्री ने 1995 की एक घटना को याद करते हुए कहा, जब महाराष्ट्र में मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, तब मैं अक्सर अधिकारियों से कहा



प्रबाधक बनता है तो सरकार को इसे तोड़ने या दरकिनार का पूरा अधिकार

करता था कि आपके हिसाब से सरकार नहीं चलेगी, सरकार हमारे हिसाब से चलेगी और हम जो कहेंगे उसका पालन करना होगा।

इससे पहले इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि सरकार ने देश में सड़क हादसों की बजह से हर साल होने वाली करीब 115 लाख मौतों को 2024 तक घटाकर आधी करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में करोड़ों रुपये खर्च कर ब्लैक स्पॉट (वे स्थान जहाँ सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं) हटाने का काम जारी है। गैर सरकारी संगठन जन आक्रोश के कार्यक्रम में गडकरी ने बताया कि देश में हर साल पांच लाख सड़क हादसों में करीब 115 लाख लोगों की मौत होती है, जबकि तीन लाख व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।

नीतीश कुमार एक बार फिर बने बिहार के मुख्यमंत्री, रिकॉर्ड 8वीं बार ली शपथ

पटना। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने बुधवार को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तेजस्वी ने शपथ के बाद नीतीश कुमार के पैर छुकर आशीर्वाद भी लिया। इससे पहले मंगलवार को नीतीश कुमार ने भाजपा को झटका देते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था।

नीतीश कुमार ने कल ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार ने इसके बाद राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा राज्यपाल फागू चौहान के सामने पेश किया। नीतीश ने इसके बाद पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी के सभी सदस्य, विधायक और सांसदों की इच्छा थी कि एनडीए से अलग हो जाया जाए। बहरहाल, बुधवार को राजभवन में शपथग्रहण समारोह में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का परिवार भी पहुँचा। इसमें तेजस्वी की पत्नी के अलावा उनकी मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी थीं। पत्रकारों के सवाल पर राबड़ी देवी ने जदयू और आरजेडी के साथ मिलकर बन रही महागठबंधन की सरकार को बधाई दी और कहा कि ये बिहार और देश के लिए अच्छा है। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि जल्द ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी कराया जाएगा।

भारत में कोरोना संक्रमण के 16047 नए मामले दर्ज, 54 लोगों की मौत



कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,28,261 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.29 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 3,546 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.52 प्रतिशत है और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, दैनिक संक्रमण दर 4.94 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

गैर करने वाली बात है कि मंगलवार को कोरोना के 12751 मामले सामने आए थे। केरल के अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।

इन राज्यों की सरकारें भी अलर्ट पर हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जरूरी कदम उठा रहे हैं।

एक नजर पतंगबाजी हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह गतिविधि हमारी संस्कृति और विरासत का एक हिस्सा है। हाईकोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, चीनी माझा (सिंथेटिक पतंग धागा) और पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग बाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के साथ मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने हालिया आदेश में कहा, याचिकाकर्ता पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए प्रार्थना करने की हद तक चले गए हैं। हालांकि पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की उक्त प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि



पतंगबाजी हमारी संस्कृति और विरासत का एक हिस्सा है। हालांकि, चीनी माझा/सिंथेटिक धागे का उपयोग निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने नोट किया कि 10 अगस्त, 2020 को पारित एनजीटी के आदेश में नायालौन, सिंथेटिक सामग्री या सिंथेटिक पदार्थ के साथ लोपित धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर रोक लगा दी गई, जो पतंग उड़ाने के लिए गैर-बायोडिग्रेडेबल है। याचिका के अनुसार पतंग के माझे से दुरुर्घटना होने पर आरोपी के बारे में पता लगना या उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए उसे पकड़ना कूल मिलाकर असंभव रहता है।

रेल किराए में बुजुर्गों को फिर से मिलेगी 50 फीसदी छूट!

नई दिल्ली। कोरोना काल में ट्रेन में किराए में बुजुर्गों को मिलने वाले छूट को बंद कर दिया गया था। इस मामले में रेल मंत्रालय से संबंध संसदीय समिति ने बुजुर्गों को ट्रेनों में छूट तकाल बहाल करने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि समिति ने कहा है कि कम से कम स्लोपर व थर्ड एसी कोचों में तो इसे तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति ने इस संबंध में चार अगस्त को ये सिफारिशें सौंपी हैं। बताया गया कि अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि बुजुर्गों को पहले रेल किराए में 40 से 50 फीसदी तक रियायत दी जाती थी, लेकिन कोविड महामारी के दौरान इसे बंद कर दिया गया।



व्यायाम के दौरान राजू श्रीवास्तव को पड़ा दिल का दौरा, एम्स में हुए भर्ती

नई दिल्ली। कॉमेडियन और भाजपा नेता राजू श्रीवास्तव बुधवार को जिम में वर्कआउट करने के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उनके भाई ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें हर्ट अटैक आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 59 वर्षीय राजू श्रीवास्तव आज सुबह ट्रेडमिल पर दोड़ते समय गिर गए। वह साउथ दिल्ली के एक जिम में वर्कआउट कर रहे थे। उन्हें एम्स ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सामने आई जानकारी के मुताबिक उन्हें हल्का हार्ट अटैक आया था और वो होश में हैं। डिस्चार्ज होने से पहले उन्हें कुछ दिनों के



लिए निगरानी में रखा जाएगा। अचानक आई राजू श्रीवास्तव की इस खबर ने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है। फैंस जल्द ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव टेलीविजन का जाना-माना नाम है। वो देश के सबसे सफल और नामी स्टैंड-अप कॉमेडियन में से एक हैं। वो अपनी शानदार कॉमेडी और मिमिकी के लिए जाने जाते हैं। राजू ने टेलीविजन पर कई शोज में काम किया है जिसमें द कपिल शर्मा शो और द ग्रेट इंडियन लापटर चौलेंज भी शामिल हैं। राजू हाल ही में इंडियाज लाप्टर चौपियन में नजर आए थे।

उत्तराखण्ड में बम धमाके की धमकी देने वाला गुजरात से गिरफ्तार



हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखण्ड में बम धमाके सहित स्वामी दर्शन भारती को जान से मारने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती द्वारा बीते 16 जून को दून एसएसपी

से मुलाकात कर शिकायत दर्ज करायी गयी थी कि उन्हे फेसबुक व फोन के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी, गाली गलौज व धर्म से सम्बन्धित अशोभनीय बातें कही गयी हैं। साथ ही बताया कि धमकी देने वाला व्यक्ति जो खुद को अफगानिस्तान का तालिब बताता है, ने उत्तराखण्ड में किसी भी बड़े त्यौहार पर बम धमाके करने की बात कही है।

लालतप्पड़ पर बस पलटी, चार यात्री गम्भीर घायल

हमारे संवाददाता

देहरादून। दिल्ली से देहरादून आ रही बस आज सुबह बेकाबू होकर डोइवाला के पास लाल तप्पड़ पर पलट गयी। बस के पलटने से बस में बैठे 17 यात्री घायल हो गये, जिसमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे जिनको एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है।

वही अन्य घायलों को आपातकालीन वाहन में ही उपचार दे दिया गया। बाकी अन्य यात्रियों पर मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया कि यह बस ईंडिया ट्रॉन एंड ट्रेवल्स की निजी बस थी जो देहरादून आ रही थी। जिसमें ड्राइवर राजस्थान निवासी विकास कुमार और कंडक्टर हरियाणा निवासी राजेश कुमार हैं।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग बंधगढ़, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक

कांति कुमार

संपादक

पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक

आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:

वी के अरोड़ा, एडवोकेट

बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।

मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।